न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

1. अपील संख्या 137/2015

शिवदयाल पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी प्रताप कॉलोनी उप तहसील सन्वाड फतेहनगर हाल आबाद 13 आर.जे.एम. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. भागीरथ पुत्र मोखराम जाति बिश्नोई निवासी चक 2 के.डी. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व घडसाना। ——रेस्पोंडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज.भू—राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घडसाना दिनांक 01.10.2014

2. अपील संख्या 33/2017

शिवदयाल पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी प्रताप कॉलोनी उप तहसील सनवाड जिला उदयपुर हाल रोजडी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. भागीरथ पुत्र मोकमराम जाति बिश्नोई निवासी चक 2 के.डी. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व घडसाना। ——रेस्पोंडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घडसाना दिनांक 30.09.2016

उपस्थितिः—

श्री मनोहरलाल अरोडा अभिभाषक अपीलार्थी

2/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

श्री सुशील कुमार गोदारा अभिभाषक रेस्पों.

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 21.05.2018

अपील सं. 137/2015 अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी घडसाना के आदेश दिनांक 01.10.2014 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश के द्वारा रेस्पों. सं. 1 को चक 11 एआरएम के मु.नं. 78/32 के कि.नं. 1 से 10, 12 से 18 कुल 17 बीघा, चक 13 आर.जे.डी के मु.नं. 78/31 के कि.नं. 5, 6, 10, 11, 12 , 15 से 25 की 14.15बीघा भूमि कुल 33 बीघा भूमि राज.उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन और विक्रय) नियम 1975 के नियम 13क के तहत आवंटन की गई है।

अपील सं. 33/2017 उपखण्ड अधिकारी घडसाना के आदेश दिनांक 30.09.2016 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश के द्वारा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद 88, 188 राज.काश्त.अधि. में प्रतिवादी रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वाद को खारिज किया गया है।

दोनों ही अपीलों में उभयपक्ष द्वारा एक साथ बहस किये जाने से तथा पक्षकार समान होने से दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील सं. 137/2015 में अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि का आवंटन कानूनी प्रावधानों को नजरअन्दाज करते हुए किया गया है। अपीलांट के नाना धन्नेसिंह के नाम से ग्राम रोजडी के खसरा नं. 14, 19, 46 व 53 की 197.06बीघा भूमि खातेदारी थी। धन्नेसिंह के देहान्त के बाद उक्त भूमि नानी सुगन कंवर के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। सुगन कंवर की मृत्यु के बाद प्रथम श्रेणी के दो वारिस अपीलांट की माता उदयकंवर व मामा नवलसिंह थे। मामा नवलसिंह लाऔलाद फोत हो गया। नवलसिंह ने गांव रोजडी के ख.नं. 14 की भूमि का बैयनामा

21/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

आनन्द कंवर के नाम करवा दिया। अपीलांट की मामी का भी देहांत हो चुका है। मामा व मामी के कोई औलाद नहीं होने से अपीलांट की माता का देहान्त होने पर अपीलांट एकमात्र वारिस है। खसरा नं. 14 की 50 बीघा भूमि चकबन्दी के समय चक 13 आर.जे.डी. के मु.नं. 78/31 के कि.नं. 4 से 25 की 22 बीघा व चक 11 आर.ए. एम के मु.नं. 78/32 के कि.नं. 1 से 25 की कुल 47 बीघा भूमि अपीलांट को विरासत में प्राप्त हुई जिसपर कब्जा काश्त अपीलांट का चला आ रहा है। अधी. न्यायालय ने तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए विवादित भूमि का आवंटन रेस्पों. को अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना, बिना सुने आवंटन कर दिया। अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र धारा 96सीपीसी पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी। जिसके लिए मियाद अधि. की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए अपील अन्दर मियाद मानते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

अपील सं. 33/2017 के सम्बन्ध में वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट ने अधी. न्यायालय में एक वाद पेश किया। उक्त वाद में प्रतिवादी द्वारा प्रा. पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश करने पर प्रा.पत्र स्वीकार कर वाद खारिज कर दिया जबकि अधी. न्यायालय को चाहिए था कि जबाब दावा लेकर उस पर तनकियात कायम कर साक्ष्य सबूत के आधार पर ही वाद का निर्णय करना चाहिए था। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। विवादित भूमि विशेष आवंटन में आरक्षित थी। रेस्पों. द्वारा प्रा.पत्र पेश किया गया था। रेस्पो. को आवंटन का पात्र मानते हुए आवंटन किया गया है। रेस्पों. द्वारा आवंटन की राशि भी जमा करवा दी है। अतःनिवेदन है कि दोनों ही अपीलें खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट द्वारा अपील सं. 137/2015 में अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा. पत्र धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनको दृष्टिगत रख प्रा.पत्र पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा. पत्र स्वीकार कर अपीलें अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील संख्या 137/2015 शिवदयाल बनाम भागीरथ निर्णय दिनांक 01.10.2014 व अपील संख्या 33/2017 शिवदयालसिंह बनाम भागीरथ निर्णय दिनांक 30.09.2016 अपीलाधीन दोनों ही आदेश अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना के निर्णयों के विरूद्ध पेश की गई है जो एक दूसरे से Interlink होकर एक दूसरे के पूरक है। अतः दोनों का निर्णय एक साथ किया जाता है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.10.2014 द्वारा विवादित आराजी रेस्पों. को आवंटित की गई है जबकि वक्त आवंटन विवादित आराजी शुद्ध रकबा राज नहीं थी तथा विशेष आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं थी। अतः आवंटन निरस्त करने का अनुतोष चाहा है जबकि इसी विवादित भूमि से सम्बन्धित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2016 द्वारा रेस्पों. का प्रा. पत्र अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार कर अपीलांट का दावा खारिज किया गया है जबकि अपीलांट इस विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन किया, अपीलाधीन आदेश 01.10.2014 की अपील मीमों का सार है कि विवादित आराजी का आवंटन राज. उपनिवेशन (Allotment and Sale of government Land in the Indira Ghandhi Canal Colony Area)Rules 1975 के नियम 13ए के तहत आवंटन किया गया है जिसकी Bare reading है कि 13ए Sale by special allotment :-(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in these rules, such lands as may be notified in this behalf by the State Government in Official Gazette to be sold by special allotment may be allotted to the persons who are eligible for such allotment in the order of preference given in sub-rule (1) of Rule 7 of these rules and where any such person is not available, to any other person who has been a bonafide agriculturist and a bonafide resident of Rajasthan for a period of not less than twenty years from the date of

2/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

application in accordance with the priority as mentioned in sub-rule (1-A) subject to the extent of ceiling area applicable to the allottee under the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973 (Rajasthan Act 11 of 1973), at a fixed price to be notified by the State Government in the Offifical Gazette from time to time, for such notified lands.]

इस विधि की पहली शर्त है कि भूमि का विशेष आवंटन हेतु गजट में Noticfication होना Mandatory है, अपील मीमों की पहली आपत्ति भी यही है कि विवादित आराजी का प्रथमतः Noticfication ही नहीं हुआ, न ही अधी. न्यायालय ने इस तथ्य की जांच की। अधी. न्यायालय की पत्रावली की फर्दअहकाम दिनांक 08.07.2014 के अन्तिम पैरा में अंकित किया है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में संधारित रजिस्टर का अवलोकन किया गया। प्रा.पत्र में वर्णित भूमि के संबंध में वर्ष 2005 में अन्य किसी व्यक्ति का आवेदन पत्र पेश नहीं किया गया है। कार्यालय द्वारा वर्ष 2005 से पूर्व उक्त भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आवेदन पेश किया गया था अथवा नहीं के संबंध में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाई गयी, बाबजूद सार्वजनिक सूचना किसी व्यक्ति ने उक्त भूमि के संबंध में कोई आवेदन या रसीद की प्रति पेश नहीं की गई। पत्रावली में संलग्न तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार अपीलकृत आदेश में वर्णित रकबा गजट में है एवं मौका पर खाली तथा आराजी राज दर्ज है। प्रार्थी तहसील घडसाना के निवासी है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में प्रकरण आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पेश हो। अतः रेस्पों. की पात्रता की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि विवादित भूमि का विशेष आवंटन हेतु गजट में नोटिसफिकेश्ज हुआ है। फिर भी अपीलांट का यह विकल्प खुला रखा जाता है कि रेस्पों. को आवंटित भूमि को छोडकर मिलान क्षेत्रफल एवं अन्य राजस्व रेकार्ड से अपीलांट के नाम भूमि होना साबित होता है तो अधी. न्यायालय में नये सिरे से अनुतोष प्राप्त करने में सक्षम रहेगा। अधी. न्यायालय तमाम रिकार्ड का परीक्षण कर गुणावगुण के आधार पर इस अपीलीय आदेश के निर्णय को अप्रभावित करते हुए पुनः परीक्षण कर निर्णय पारित करने में यह निर्णय बाधा नहीं बनेगा।

2/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील मीमों की अन्य आपत्तियों का अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से मिलान किया सही नहीं पाया गया। चुंकि आवंटन राज. उपनिवेशन अधिनियम के तहत बने नियमों के तहत हुआ है। अतः राज.उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11 पठित धारा 14 के विकल्प को खुला रखते हुए अपील मीमों की समस्त आपत्तियां खारिज योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.10.2014 की अपील संख्या 137/2015 खारिज योग्य होकर अपील अस्वीकार की जाती है।

अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2016 द्वारा सिविल प्रकिया संहिता आदेश 7 नियम 11 के तहत स्वीकार हुआ है तथा अपीलांट का वाद पत्र खारिज किया है का सार यह है कि जो भूमि राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म परीक्षणों के पश्चात विशेष आवंटन के लिए आरक्षित की है Denotify किये बगैर अपीलांट को अनुतोष नहीं दिया जा सकता। अतः अधी. न्यायालय का प्रा.पत्र More Specifically आदेश 7 नियम 11(d) की परिधि में आना प्रतीत होता है फिर भी अपीलांट का claim अगर बनता है तो रेस्पों. को आवंटित भूमि को छोडकर मिलान क्षेत्रफल द्वारा अपीलांट की भूमि किसी खाते, खसरे, रकबे, चक, मुरब्बे में बनना जाहिर होता है तो अपीलांट अधी. न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र एवं सक्षम रहेगा एवं इस निर्णय से बाधित नहीं होगा।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 33/2017 खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर